रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2010/माघ 1, 1931

No. 30] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2010/MAGHA 1, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2010

सं. 36/2009-2014

विषय :—प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1, 2009-2014 के पैरा 5.11.2 में संशोधन ।

फा. सं. 01/94/180/77/ए एम 09/ईपीसीजी-2.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के पैराग्राफ 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1, 2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं -

2. प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 5.11.2 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

"उन क्षेत्रों के निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए जहाँ उस क्षेत्र/उत्पाद समूह का कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 5% से अधिक कम हुआ है; पिछले वर्ष के मद्दे सम्बद्ध वर्ष में उस विशेष क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यातों के समानुपात में वर्ष के लिए औसत निर्यात दायित्व को कम किया जा सकता है । तथापि, यदि निर्यात में कुछ लगातार कमी जारी रहती है, तो औसत निर्यात दायित्व में पात्रता की गणना और कमी की गणना का आधार वर्ष उस वर्ष को माना जाएगा जिसके बाद निर्यातों में लगातार कमी को दर्शाया गया है ।

क्षेत्रों/उत्पाद समूहों जिनके लिए छूट की अनुमति दी जानी है, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के सात महीनों के अंदर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा और तदनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी उस क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यातकों के लिए वार्षिक औसत निर्यात दायित्व का पुनः निर्धारण करेंगे ।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन विशेष सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st January, 2010

No. 36/2009-2014

Subject :—Amendment in Para 5.11.2 of HBP Vol. I, 2009-2014.

F. No. 01/94/180/77/AM-09/EPCG-II.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014 and Paragraph 1.1 of the Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures, Vol. 1, 2009-2014, as amended from time to time.

2. Para 5.11.2 of HBP Vol. 1 is amended to read as under :

"To provide relief to exporters of those sectors where total exports in that sector/product group has declined by more than 5% as compared to the previous year, average export obligation for the year may be reduced proportionate to reduction in exports of that particular sector/product group during the relevant year as against the preceding year. However, in case export decline is continuous over consecutive years, the base year for calculation of eligibility and calculation of reduction in Average Export Obligation will be taken as the year after which the exports have shown continuous decline.

The sectors/product groups for which this relaxation is to be allowed shall be conveyed by the DGFT to all the RAs within seven months of the end of the previous financial year, and the RAs shall re-fix the annual average EO for previous year accordingly, for exporters in that sector/product group."

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Spl. Secy.

267GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.